न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान , आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 03/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेण्टस
केवाराम पुत्र रतनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी आदरवाड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर		1. सरपंच ग्राम पंचायत आजोदर, पं. समिति रानीवाड़ा 2. देवराज पुत्र रतनाराम 3. भीमाराम पुत्र रतनाराम 4. वगताराम पुत्र रतनाराम जातियान कुम्हार(प्रजापति) निवासी आदरवाड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर 5. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा, जिला जालोर

म्युटेशन अपील बनाराजगी म्युटेशन संख्या 34 दिनांक 26.06.1982 ग्राम पंचायत आजोदर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. रेस्पोडेण्टस संख्या 5 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक –17.07.2023

1. अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्टस के विरूद्व एक म्युटेशन संख्या 34 दिनांक 26.06.1982 ग्राम पंचायत आजोदर के संबंध में अपील प्रस्तुत की है जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट का वास्तविक रेकोर्डेड नाम केवाराम पुत्र रतनाराम जाति कुम्हार जाति कुम्हार(प्रजापति) साकिन आदरवाड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर है। यह कि सरहद मौजा आदरवाड़ा तहसील रानीवाड़ा में स्थित खातेदारी भूमि पुराने खसरा नम्बर 29 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा की अपीलाण्ट के पिता रतना व भीमा तथा वगता बेटा पोता पिथाजी कुम्हार द्वारा खरीद कर कब्जा व स्वामित्व प्राप्त किया था। अपीलाण्ट के पिता का नाम रतनाराम हैं। अपीलाण्ट के पिता रतनाराम के फौत होने के बाद अपीलाण्ट के हक में खसरा नम्बर 29 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा बाबत म्युटेशन संख्या 34 का इन्द्राज हुआ। अपीलाण्ट के पिता मृतक रतनाराम के कुल चार पुत्र हैं अर्थात् अपीलाण्ट कुल चार भाई होने से अपीलाण्ट के पिताजी फौत होने के बाद अपीलाण्ट सहित चारों भाईयों के नाम फौतेदगी म्युटेशन का इन्द्राज हुआ। उक्त फौतेदगी म्युटेशन का इन्द्राज करते समय हल्का पटवारी द्वारा अपीलाण्ट केवाराम की जगह देवा दर्ज कर लिया तथा उक्त भूल के चलते देवा पुत्र रतनाराम के नाम से म्युटेशन भर दिया तथा उक्त म्युटेशन की तसदीक हल्का आर.आई.द्वारा की जाकर उक्त भूल को नजर अंदाज करते हुए तथा अपीलाण्ट से बिना पुछताछ किए हुए ही म्युटेशन को ग्राम पंचायत आजोदर के सरपंच द्वारा दिनांक 26.06.82 को स्वीकृत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.02 12:18:04 IST
Reason: SelfAttested

दिया गया। इस प्रकार अपीलाण्ट केवाराम की जगह भूल से या गलती से देवा का इन्द्राज कर दिया गया। उक्त भूल या गलती आज दिन तक राजस्व रेकर्ड के साथ कायम हैं तथा वर्तमान में उक्त देवा की जगह देवाराम नाम कर दिया गया है। उक्त भूल या गलती का सुधार कर अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में देवाराम की जगह केवाराम दर्ज करवाने हेतु यह म्युटेशन अपील पेश की जा रही हैं। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर खातेदार देवाराम पुत्र रतनाराम की बजाय केवाराम पुत्र रतनाराम दर्ज किए जाने के आदेश दिया जाना न्याय संगत हैं।

अपीलाण्टस आज से 20 दिन पूर्व अपीलाण्ट ने अपनी खातेदारी भूमि पर बैंक से ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी से जमाबंदी ली तथा बैंक में गया तो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व आधार कार्ड मतदाता परिचय पत्र में अलग अलग नाम दर्ज होने पर बाबत बैंक वालों ने कहा तो अपीलाण्ट को प्रथम बार जानकारी हुई। इस प्रकार म्युटेशन संख्या 34 को स्वीकृत करते समय ग्राम पंचायत आजोदर ने भारी भूल की हैं। उसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है एवं म्युटेशन संख्या 34 की जानकारी से अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद पेश हैं। फिर भी अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश में रहने वाला अनपढ़ व्यक्ति होने से अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने की जानकारी नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील को अंदर प्याद शुमार किया जाना न्याय हित में आवश्यक हैं। जिस हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश हैं।

2. यह कि म्युटेशन संख्या 34 को ग्राम पंचायत आजोदर द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिससे इस म्युटेशन अपील की सुनवाई का श्रीमानजी को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। लिहाजा म्युटेशन अपील मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि मौजा आदरवाड़ा तहसील रानीवाड़ा की खातेदारी आराजी पुराने खसरा नंबर 29 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा जिसके नव सर्जित खसरा नंबर 108 रकबा 1.51हे. बाबत रतनाराम पुत्र पीथाजी की फौतेदगी पर ग्राम पंचायत आजोदर द्वारा जो म्युटेशन संख्या 34 स्वीकृत किया गया है, को निरस्त कर उक्त देवाराम पुत्र रतनाराम की जगह केवाराम पुत्र रतनाराम कौम कुम्हार(प्रजापति) निवासी आजोदर तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर दर्ज करने के आदेश फरमावे।
3. अपीलाण्ट की म्याद के बिन्दु पर रेस्पोडेण्टस के उजर ऐतराज के अधिकार को सूरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को समन जारी किये गए। रेस्पोडेण्टस संख्या 1 की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रस्पोडेण्टस संख्या 2 से 4 की ओर से अपील बाबत सहमति पेश की गई। जिसमें बताया कि उपरोक्त अनवान की अपील मे हम सहमति दाता बतौर रेस्पोडेण्टस संख्या 2 से 4 है। अपीलाण्ट ने सही तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। उक्त अपील को न्यायालय श्रीमान द्वारा स्वीकार किया जाता हैं तो उसमें हमारा कोई उजर एतराज नहीं है। उक्त अपील बाबत हमारी पूर्ण सहमति है। अतः श्रीमानजी अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार करने के आदेश फरमावें।
4. सर्वप्रथम दिनांक 05.01.2023 को अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई न्यायालय में स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.02 12:18:04 IST
Reason: SelfAttested

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता व रेस्पोडेण्टस संख्या 5 की ओर से राजपेरोकार की बहस सुनी गई।

6. हमने अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार के बहस तथ्यों का मनन किया गया। अपीलाण्टस द्वारा पेश म्युटेशन संख्या 34 की प्रमाणित प्रतिलिपि का अध्ययन किया, उक्त म्युटेशन में रतना फौत होने पर उनके उतराधिकारियों पुत्र भीमा, वगता, केवा, देवराज मौजूद होने से इनके नाम नामान्तरणकरण खोला गया है। अपीलाण्ट का नाम उक्त म्यूटेशन में देवा दर्ज किया गया है। तथा अपीलाण्ट द्वारा अपील में प्रस्तुत आधार कार्ड जिसमें अपीलाण्ट का नाम केवाराम कुम्हार लिखा हुआ है। रेस्पोडेण्टस संख्या 2 से 4 द्वारा अपीलाण्ट की अपील के सभी तथ्यों स्वीकार कर कोई उजर ऐतराज नहीं किया गया है। व सहमति प्रदान की गई। तथा अपीलाण्ट को नामान्तरकरण भरते समय सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्वांत के नियमों के तहत भी अवैधानिक की परिभाषा में आता है। व अपीालाण्ट ग्रामीण परिवेश वाला अनगढ व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत आजोदर द्वारा म्यूटेशन संख्या 34 पारित आदेश दिनांक 26.06.1982 को अपास्त किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील स्वीकार योग्य है।

—: आदेश :—

7. अतः उपयुक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्टस की अपील स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत आजोदर द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 35 में पारित आदेश दिनांक 26.06.1982 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त ना0 संख्या 35 को तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप दोनों पक्षों की सुनवाई कर नामान्तकरण खोलने की विधिक प्रकिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पक्षकारान् अपना—अपना खर्चा वहन करें।

(कुसुमलता चौंहान)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.02 12:18:04 IST
Reason: SelfAttested